राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2387/2024

सुरेश सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद खेरथल, तिजारा, अलवर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति तिजारा, जिला, खेरथल, तिजारा अलवर।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय एवं पेंशनर्स कल्याण, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2024
आदेश की दिनांक : 25.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी राजकीय सेवा से दिनांक 30.09.2021 को सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी की सेवानिवृति के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति तिजारा द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर को सूचना भेजी गयी कि अपीलार्थी से 2,39,700/– रूपये की वसूली की गई है। उक्त वसूली दिनांक 01.09.2023 की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें हैंडपंपों की स्थापना में अनियमितताएं पाई गईं। उक्त आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है एवं ना ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध श्री सुबन नामक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई और उसी शिकायत के अनुसरण में उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि हैंडपंप निजी कृषि भूमि पर स्थापित किए गए

और एम/एस लायना ट्रेडर्स को 6,33,038/– रूपये का भुगतान किया गया तथा दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–2) को उक्त राशि वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर दी गई। अपीलार्थी पंचायत समिति तिजारा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था तथा अपने सेवाकाल के दौरान अपीलार्थी 18 वर्ष की एसीपी निर्धारण हेतु दिनांक 16.09.2022, 13.03.2023 एवं 04.06.2023 अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा पी.एल. की देय राशि का भुगतान कराने का भी अनुरोध किया, लेकिन बार–बार अनुरोध के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और वह 300 दिनों के पीएल के बदले भुगतान प्राप्त करने का भी हकदार है। अपीलकर्ता ने तकनीकी अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं किया और तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हैंडपंप स्थापना का कार्य पूरा होने के बाद कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 06.02.2024 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी से वसूली गई राशि 2,39,700/– एवं 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जावे एवं साथ ही 300 दिनों की पी.एल की राशि का भुगतान कराया जावे तथा समस्त परिणामी राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह

पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)